

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

बलराज सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर आदि
दावा 88 आर.टी.ए, 136 एल आर एक्ट मुकदमा नं 30/2022

निर्णय दिनांक :- 06.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री युधिष्ठिर सिंह सैनी, श्री रामदास सौलकी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता पलविन्द्र सिंह पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादपत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है व वादी आदेश 7 नियम 1 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत नया वादपत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

आज दिनांक 06.06.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर